खण्ड-101, अंक-2
मंगलवार, 30 वैशाख, शक संवत् 1874
(20 मई, 1952 ई0)

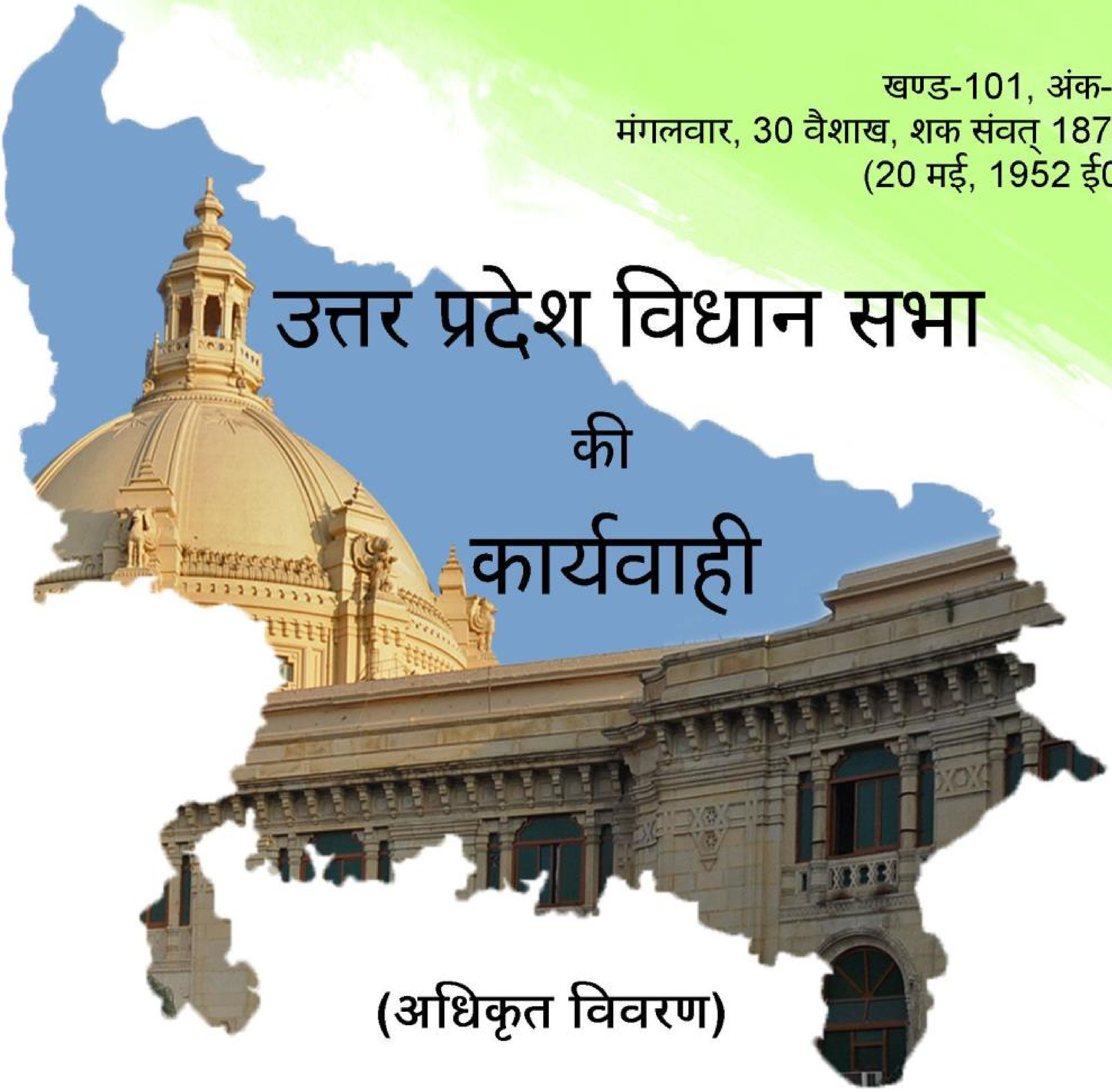

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 101 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २० मई, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (४०६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल लतीफ़ खां, श्री मुहम्मद
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, माननीय श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आनन्द स्वरूप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उलफ़त सिंह चौहान, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, माननीय श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह, श्री
करणसिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किदरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलास प्रकाश, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
ख़यालीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गंदर्पसिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चरणसिंह, माननीय श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटा शंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाँद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धरमसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री

फ़जलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव उपनाम सत्यानन्द, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद, श्री
बलवन्त सिंह कुंवर, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतदीन, श्री
भगवतीप्रसाद, दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोपालसिंह, श्री
भोलासिंह, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल, श्री
मंजरुल नबी, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
मही लाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुनेन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूफ़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, माननीय श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणज्य सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जयसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुंडा)
रामस्वरूप, श्री (दूधी)
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, माननीय श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विशम्भर सिंह, श्री
विशम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
बीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, राजा
वीरेन्द्र शाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री

शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववख्श सिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
श्याममनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुख़जूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हरख़यालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, माननीय श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हामिद ख़ां, श्री
हुकुमसिंह, माननीय श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की--

१--श्री हर सहाय गुप्त
२--श्री अवधेश प्रताप सिंह
३--श्री बलदेव सिंह
४--श्री बलदेव उपनाम सत्यानन्द
५--श्री जगन्नाथप्रसाद
६--श्री रणञ्जयसिंह
७--श्री दाऊदयाल खन्ना
८--श्रीमती सईद जहां मख़्फ़ी

कुमायूं डिवीजन के कतिपय भागों में ओलावृष्टि आदि से उत्पन्न होने वाली असाधारण परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष--मेरे पास श्री नारायण दत्त तिवारी ने काम स्थगित करने के लिये प्रताव की सूचना भेजी है। यह इस प्रकार है--

"विधान सभा का आज का यह अधिवेशन कुमायूं डिवीजन की अनेक पट्टियों में अप्रैल के महीने भर और इसी १६ मई, १९५२ तक हुई भयंकर ओलावृष्टि, अन्न उत्पादन में हुई भीषण कमी और हल्द्वानी तहसील के भागों में पानी की अत्यंत कमी के कारण उत्पन्न होने वाली असाधारण परिस्थिति व उसके निवारण पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस प्रस्ताव को मैं मंजूर नहीं कर सकता और इसके पेश होने की इजाजत नहीं दे सकता। इसका कारण यह है कि एक तो काम रोको प्रस्ताव एक विशेष निश्चित विषय पर होना चाहिये। उसमें दो या तीन चीजें नहीं मिलाई जा सकतीं। इसमें एक जगह पानी की ज्यादती, ओलों का पड़ना और दूसरी जगह पानी की कमी, फिर इसके इलाके अलग अलग हैं। इसके अलावा एक काम रोको प्रस्ताव के जरिये से आइन्दा जो मौका किसी काम की बहस होने को है उसको भी विचार में रखना पड़ता है।

कल जैसा कि हमारा कार्यक्रम है महामान्य राज्यपाल का सम्बोधन होगा और इस सिलसिले में जो बातें वह कहेंगे उसमें तरमीम की सूरत में कुछ बातें पेश की जा सकती हैं। वह मौका उनको होगा कि जिस विषय पर माननीय सदस्य ने सूचना दी है उस पर अपनी बात कह सकेंगे और उसमें काफी मौका उनको होगा। इन कारणों से मैं इसके पेश होने की इजाज़त नहीं दे सकता।

अध्यक्ष-पद के लिये नाम-निर्देशित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष--जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं आज का दिन महामान्य राज्यपाल ने अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिये नियत किया है। नियमानुसार नामांकनपत्र कल १२ बजे तक आ जाने चाहिये थे और इस पद के लिये जो नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं उनका ब्यौरा यह है--

श्री कुंवर बलवीर सिंह। उनके प्रस्तावक श्री रघुबीर सिंह और समर्थक श्री विश्वम्भर-सिंह हैं मगर उन्होंने कल १२ बजे के पहले ही नाम वापस ले लिया।

दूसरा नामांकन पत्र श्री आत्माराम गोविन्द खेर का है। इसमें एक पत्र में प्रस्तावक माननीय श्री हुकुमसिंह, समर्थक माननीय श्री मोहनलाल गौतम, दूसरे में प्रस्तावक माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द और समर्थक श्री राजाराम। तीसरे में प्रस्तावक

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त और समर्थक माननीय श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम और चौथे में प्रस्तावक माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त और समर्थक श्री मंगला प्रसाद हैं।

तीसरा नामांकन पत्र श्री निहालुद्दीन का है। इसमें एक पत्र में प्रस्तावक श्री राजनारायण व समर्थक श्री रामनारायण हैं और दूसरे में प्रस्तावक श्री मदन मोहन उपाध्याय और समर्थक श्री नारायण दत्त हैं।

इस प्रकार अब दो ही उम्मीदवार रहते हैं, श्री आत्माराम गोविन्द खेर और श्री निहालुद्दीन।

चूंकि कायदे के मुताबिक बैलट पेपर के जरिये यह चुनाव होगा उसके लिये मैंने बैलेट पेपर्स छपवा लिये हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि जो उसका तरीका है, चूंकि स्पष्ट नहीं है, इसलिये मैं अपनी तजवीज को आपके सामने बतला दूं। वह तरीका यह है कि यह चुनाव मैं ठीक १२ बजे शुरू करना चाहता हूं। इसलिये जो बैलट पेपर्स आवेंगे उनको मैं अपने सामने रखवाऊंगा और ठीक १२ बजे आप सब के सामने वे बैलट पेपर्स भेज दिये जायंगे। और बैलट बक्स मैं यहां रखवाऊंगा और उन पर्चों को पढ़ कर हर एक माननीय सदस्य अपना बैलट पेपर बैलट बक्स में रखते जायंगे। उसके बाद मैं उनको यहां खोल कर नतीजे का एलान करूंगा। मैं यह दरियाफ्त करना चाहूंगा कि यह जो तरीका है इसे क्या आदरणीय सदन स्वीकार करता है?

सदस्यगण—स्वीकृत है।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष—अब हम उठते हैं। इस दरमियान में हमें चुनाव के लिये तैयारी करनी है। हम १२ बजे उस चुनाव को शुरू करेंगे।

(इस समय ११ बज कर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजे सदन की कार्यवाही माननीय कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष—ये जो इस वक्त बैलट पेपरस् अभी माननीय सदस्यों को तक़सीम किये जा रहे हैं उन के लिये दो बैलट बाक्सेज अभी यहीं पर मौजूद हैं। एक इस कोने पर रखा जायगा और दूसरा उस कोने पर। माननीय सदस्य देखेंगे कि बैलट पेपर में दो नाम हैं। एक श्री आत्माराम गोविन्द खेर का और दूसरा श्री निहालुद्दीन का। मैं एहतियातन बताये देता हूं कि इसमें नामों के सामने दो खाने हैं आप को जिस को राय देना हो उस के नाम के सामने जमा या जरब का चौपारे का निशान आप को बनाना है। एक ही निशान दोनों लाइनों के बीच में होना चाहिये। इसके अलावा कोई दस्तखत नहीं करना है और न कोई ऐसा निशान बनाना है कि जिस से पता चल सके कि किस ने राय दी है। बैलट के मानी यही होते हैं कि खुफिया तौर पर राय दी जाय। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य बैलट के मकसद को न भूलें। ये दोनों बैलट बाक्सेज रखे हुये हैं जो जिस में चाहें इन में से किसी मे अपना पेपर डाल दें।

अब कार्यालय के लोगों में से कोई साहब बैलट बाक्स मेरे सामने खोल कर दिखला दें और फिर मेरे ही सामने उन को बन्द कर दें। मैं इतना और कह दूं कि मैं एक मर्तबा फिर ५ मिनट की घंटी बजवाऊंगा। जो लोग आयेंगे वह आ जायंगे और उसके बाद मैं दरवाजा बन्द करवा दूंगा, यह इसलिये कि अगर ऐसा न किया गया तो बड़ी दिक्कत होगी यह जानने में कि किस को पर्चा पहुंचा या नहीं पहुंचा।

(इसके पश्चात् सदस्यों को शलाका-पत्र दिये गये और उन्होंने मत प्रदान किया।)

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष—मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनका परचा अभी बैलट बक्स में नहीं पड़ा है? अगर कोई ऐसे हों तो मेहरबानी करके खड़े हो जायं, वरना मैं बैलट बक्स यहां मंगवाऊं।

(कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ।)

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष—इस चुनाव का फल इस प्रकार है । दस माननीय सदस्यों ने बगैर कोई राय दिये हुये पर्चा मुझे वापस कर दिया, एक पर्चे को मैं नाजायज़ करार देता हूं इसलिये कि उस पर किसी नाम के सामने निशान नहीं है । वैसे ही सादा मिला है और उसके बाद श्री आत्माराम गोबिन्द खेर के पक्ष में ३६६ मत हैं और श्री निहालुद्दीन के पक्ष में २४ मत हैं । मैं श्री आत्माराम गोबिन्द खेर को उचित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं ।वे मैं माननीय श्री आत्माराम गोबिन्द खेर को बधाई देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस आसन को आकर ग्रहण करें ।

(तदनन्तर माननीय मुख्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री व श्री मंगला प्रसाद माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर को मंच पर ले गये और उन्होंने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आप से भी अधिक आपके चुनाव पर इस भवन को बधाई देना चाहता हूं । मुझे इस बात का हर्ष है कि आप इस भवन के अध्यक्ष रहेंगे और हमारी इस असेम्बली में सर्वोच्च स्थान को आप सुशोभित करेंगे । इसी के साथ साथ मुझे इस बात का खेद भी है कि जो आपके साथ हम सब यहां बैठकर एक ही जगह में काम करते थे उससे कुछ थोड़ा सा अंतर हो गया है । यद्यपि आप हम से ऊंचे उठे, इसका तो हमें संतोष है, परन्तु इस बात का कि अब आप हमारे साथ जिस स्थल में हम मिलजुल कर बहुत सी बिघ्न-बाधाओं का मुकाबला करते हुये अपने एक सेवा के कार्य में आगे बढ़ने का यत्न करते थे उस जगह आपकी सदबुद्धि आपके शुद्ध निर्मल स्वभाव का हमें उस हद तक सहारा नहीं रहेगा जितना कि पहले था ।

आपके साथ मेरा और मेरे अन्य साथियों का बहुत पुराना संबंध है । दस वर्ष का नहीं, बीस वर्ष का नहीं, लगभग तीस वर्ष से हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर पहाड़ियों में चढ़ने और तलैटियों में जाने का काम करते आये हैं । इससे जब कोई भी आंशिक रूप में विछोह होता है तो उससे कुछ दुख भी होता है, परन्तु हमारी जो कुछ हानि या क्षति हुई है उससे भवन का लाभ हुआ है । हमने अपनी क्षति को सहन करके भवन के लाभ को करना अपना कर्त्तव्य समझा ।

मैं समझता हूं कि आज जब हम एक नये पुनीत यात्रा के कार्य का श्रीगणेश कर रहे हैं और एक नई मंजिल पूरी कर के अपने नये मकसद की ओर चेहरा कर के आगे बढ़ने के लिये एक मुसम्मिम और पक्का इरादा करके, प्रतिज्ञा करके श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने विधान को सामने रखते हुये देश सेवा के, इस विधान सभा के द्वारा, यज्ञ में जो कुछ भी हम से हो सके उसमें अपना सहयोग देने के लिये यहां हम फिर आगे बढ़ने का एक हौसला कर रहे हैं । तब हमारे लिये इससे अधिक रुचिकर और उत्साहवर्धक बात नहीं हो सकती जैसी कि आपके इस अध्यक्ष पद में सुशोभित होने से होती है । आपने अपनी युवावस्था से ही देशसेवा का व्रत ले रखा है । आज से दसियों बरस हुये तब आप झांसी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन कई सालों तक रहे और जहां तक मुझे याद है सर्वसम्मति से होते रहे । देश के स्वतंत्रता युद्ध में आप सदैव अपने प्रदेश में अग्रणी रहे और अपने चरित्र, सद्विचार, निर्मल विचार और शुद्ध विवेचना के बारे में कभी भी किसी को कोई शंका नहीं हुई । किसी भी सार्वजनिक सेवक के लिये इस तरह का यश और कीर्ति प्राप्त करना, बगैर किसी तरह के विशेष प्रयत्न के, बड़ी कठिन सी बात है । मैं इसलिये भवन को बधाई देता हूं ।

हम लोग आज यहां अपने भारतीय गणराज्य में, इस भारत के सबसे बड़े प्रदेश में, छः साढ़े छः करोड़ जनता का प्रतिनिधि होने का गर्व करते हैं । तीन करोड़ से ज्यादा तो मतदाताओं ने हमें यहां भेजा है । हम प्रदेश की सेवा के लिये उनकी तरफ से नियुक्त किये गये हैं । और हमने इस भवन के गौरव को, इसकी आत्मा को ऊंचा करने के लिये, आपको चुना है । हम यदि देश के प्रतिनिधि हैं तो आप इस भवन के प्रतिबिम्ब हैं और इस तरह से आप इस प्रदेश के ही प्रतिबिम्ब हो जाते हैं । प्रतिबिम्ब को शुद्ध होना है, पवित्र होना है और निर्मल होना है ताकि उसमें किसी को भी कोई ग्लानि न होने पाये ।

हम आशा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस भवन के स्तर को ऊंचा उठायेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आप इसकी और इसके प्रत्येक सदस्य के मान और मर्यादा की रक्षा करेंगे और जो इस भवन के प्रिविलेजेज (विशेषाधिकार) हैं, जो इस भवन के प्रत्येक सदस्य के स्वत्व हैं, उनकी रक्षा करेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक को इसमें सहायता देनी चाहिये और अपने दायित्व व कर्त्तव्य को पूरा करना चाहिये, क्योंकि दोनों के साथ साथ निभाने से ही प्रगति हो सकती है और जो वास्तविक स्थिति है वह एक निश्चित आधार पर निर्धारित हो सकती है। यहां हम एक लोकतंत्र के भीतर काम करते हैं और इसमें विचार विनियम की परमावश्यकता है। भिन्न भिन्न विचारों के प्रकट होने से सत्य के अन्वेषण में सहायता मिलती है। हम सबका जो यहां बैठे हुये हैं सत्य के सिद्धांत पर देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये जो भी समाज व देश को ऊंचा करने की बातें हों उनको सुझाने का, उनकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का, हर एक के कर्त्तव्य को निभाने के लिये सदैव विचार ही नहीं, परन्तु एक प्रतिज्ञा होनी चाहिये। इस तरह से हम विचार विनिमय यहां करेंगे। विचार स्वातन्त्र्य का युग है और विचार स्वातन्त्र्य का होना ऐसे भवन में बहुत बड़ी बात है। जब हम पिछड़े हुये लोग हैं, हमारे यहां बहुत से कष्ट और असुविधायें हैं तथा इधर उधर खाने की कमी है और सैकड़ों, हजारों और लाखों आदमी दुखी हैं तब और भी आवश्यक हो जाता है कि हम सब यथासम्भव सहृदयता के साथ सत्य की खोज में अपने मन को लगाकर जिस तरह से भी यहां के निवासियों का हित हो सके उसके लिये प्रयत्नशील हों। विवाद की स्वतंत्रता होनी चाहिये, बहस मुबाहसे की आजादी होनी चाहिये, मैं आशा करता हूं कि उसी के साथ साथ हमारे भारत के सौजन्य की रक्षा होगी और हमारे देश की मर्यादा सुरक्षित रहेगी।

हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रगट करेंगे परन्तु किसी की नीयत पर कोई आघात नहीं होगा। हम अपने विचारों को चाहे कितने ही प्रबल शब्दों में कहें परन्तु कोई कटुता उनमें नहीं आयेगी और प्रत्येक का यह यत्न होगा कि वह इस भवन के ऊंचे स्तर को और भी ऊंचा बनायें और हमारे आपस के हार्दिक सद्भावों को और भी आगे बढ़ने का अवसर हो। इसलिये स्वतंत्रता की रक्षा हो और उसी के साथ साथ समय का भी विचार रहे। जो भी काम किया जाय वह इस ढ़ंग से हो जिससे हम सही नतीजे पर पहुंच सकें और समय का भी सदुपयोग हो और जिस तरह से हमारे आपस में एक सत्य के अन्वेषण के साथ हमारे जो कुछ साधन हों उनका हम सदुपयोग कर सकें। उस अवसर को खोवें नहीं और हाथ से नहीं जाने देवें।

बहुत दिनों से यह परिपाटी उस देश में, जहां से यह लोकतंत्रता शुरू हुई, चली आती है कि वहां प्रेसिडेंट को जबरदस्ती लेजाकर कुरसी पर बिठलाया जाता है। यहां पर हमें आपसे निवेदन करना पड़ा और आपने हमारी प्रार्थना पर इस कार्य को अपने ऊपर लिया और देश की भलाई की दृष्टि से लिया। आप इस कार्य को बहुत सुचारुरूप से करेंगे इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है।

यहां पर इस समय किसी भी समुदाय की इतनी संख्या नहीं है कि जो सही विरोधीदल हो सके परन्तु तब भी यहां पर जो भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं सभी को काफी अवसर अपने अपने विचारों को प्रकट करने का मिलेगा यह मुझे आशा है। मैं यह समझता हूं कि आज हम एक नई यात्रा के लिये अपने पग उठा रहे हैं, एक नये अध्याय को लिखने के लिये अपनी कलम तेज कर रहे हैं। वह पग बराबर आगे बढ़ता जायगा और जो अध्याय लिखा जायगा वह उज्जवल होगा और जो कार्य हमारे भवन का होगा वह इतिहास में सदैव आदर की दृष्टि से देखा जायगा। इसके अलावा मैं आपको और भवन को बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैं इस अवसर पर नफीस साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस खूबी के साथ हमारे भवन का कार्य संचालन किया उसके लिये हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे और उनकी प्रशंसा करते रहेंगे और उससे हमारे भवन को लाभ होगा। मैं आपसे विनय करता हूं कि आप अपने इस पद को स्वीकार करें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको शक्ति, सद्बुद्धि और बल दे जिससे आपका और इस भवन का स्तर और मान मर्यादा ऊंची हो और हमारे प्रदेश की निरन्तर उन्नति होती रहे।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, सदन के बहुमत सदस्यों द्वारा आपका जो निर्वाचन हुआ है, उसके लिये मैं आपका स्वागत करता हूं, यद्यपि आपके सामने मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने पूरी कोशिश की कि स्पीकर का निर्वाचन सर्वसम्मित से हों। आज दुनिया में दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ टोटैलिटेरियानिज्म (सर्वाधिकारवाद) है और एक तरफ डोमोक्रैसी (जनतन्त्र) है। एक तबका चाहता है कि सारी शक्ति वह अपने थोड़े से हाथों में इकठ्ठी करे और एक चाहता है कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो। आज देश में जनतंत्रात्मक प्रणाली को विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि वे तमाम लोग जो जनतंत्र को अग्रसर करने के लिये प्रयत्नशील हैं एक खेमे में आकर इकट्ठे हों। हमने शुरू से उसी जनतांत्रिक प्रणाली की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिये बहुमत दल के नेता और दूसरे अन्य नेताओं से निवेदन किया कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मित से होना चाहिये। जहां तक आपके कार्य विशेष का संबंध है मैं आपके बहुत से गुणों से परिचित हूं और उनके ऊपर श्रद्धा रखता हूं, मगर जहां सिद्धांतों के प्रतिपादन और आदर्शों की रक्षा का समय आता है वहां जो व्यक्ति अपने आदर्श और सिद्धांत का प्रेमी होता है उसे अपने प्रेमी व्यक्तियों से विलग होकर अपने आदर्श और सिद्धांत की मर्यादा को सुरक्षित रखना पड़ता है। उसी मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिये निहालुद्दीन साहब को खड़ा किया गया था।

आज हमारे सूबे में, हमारे देश में जिस तरह का सामाजिक संघटन है उसे देखते हुये मैं कह सकता हूं कि सारा समाज दो विरोधी तबकों में बंटा हुआ है। एक तरफ वे लोग हैं, जिन का स्वार्थ सुरक्षित है और एक तरफ वे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस सदन को स्पष्ट तरीके से यह एलान करना होगा कि आप किस का समर्थन करते हैं, किस के अधिकारों की रक्षा आपके द्वारा होती है। जहां हम जनता के सामने जाते हैं वहां जनता से निवेदन करते हैं कि आपके अधिकारों की सुरक्षा हमारे हाथों द्वारा होगी। जब समाज दो परस्पर विरोधी तबकों में बटा हुआ है तब यदि कोई यह कहे कि आपस में फटुता नहीं होगी, आपस में हर समय हर स्टेज पर विचारों के आदान प्रदान से ही सारी बातें तय हो जाया करेंगी, मैं समझता हूं कि ऐसा अवसर कम आता है। शायद उसी मनोवृत्ति का परिचय यहां पर भी दिया गया। इसलिये जहां मैं आपको धन्यवाद देता हूं, उसी के साथ साथ अपने उन साथियों को भी धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और जिन्होंने निहालुद्दीन साहब को अपना मत प्रदान किया है। यद्यपि ऐसे सदस्यों की संख्या केवल २४ है मगर मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप जनमत की दृष्टि को ध्यान में रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस भवन के बाहर जितने हमारे मतदाता हैं उनमें से ३५ फीसदी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने निहालुद्दीन साहब को अपना मत प्रदान किया है। तो आप जिस परिस्थिति विशेष में अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुये हैं वह परिस्थिति बहुत ही गम्भीर है। जहां तक अपोजीशन (विरोधी दल) का संबंध है मैं आप को अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि अपोजीशन जनतंत्र के रक्षार्थ सर्वदा आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आपको हमारी तरफ से ऐसी कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होगी जोकि जनतांत्रिक प्रणाली को विकसित होने में बाधक हो।

मैं आपसे अपील करूंगा कि जब देश में और बाहर भी दो परस्पर विरोधी विचार धाराओं क संघर्ष है, जनतंत्र और तानाशाही का, तो आप जनतंत्र के हिमायती हों। हाउस में आने से पहले हम से बहुत से सदस्यों ने कहा कि आप क्या कनटेस्ट (संघर्ष) करते हैं आपकी ताकत तो सिर्फ २० या २४ सदस्यों की है और आपके सदस्य चुने नहीं जायेंगे। मैंने उन सदस्यों से निहायत नम्रता के साथ निवेदन किया था और करना चाहता हूं कि आप केवल यहां हाउस की शक्ति को देख कर शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। आप हृदय पर हाथ रख कर देखिये, आप हिसाब लगाइये कि आया जो १९ या २४ सदस्य जिन्होंने अपना मत श्री निहालुद्दीन के पक्ष में दिया वे कितने मददाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे एलेक्शन कमीशन आपके

सामने उस बात को जब साफ करेगा तब आपको मालूम होगा कि बहुमत दल केवल ४४ फीसदी जनमत का प्रतिनिधित्व करता है जब कि विरोध में आने वाले लोग जितने हैं वे ५६ प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिये मैं आपसे बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि आप केवल इस भवन में विद्यमान सम्मानित सदस्यों की संख्या पर ही वस्तु स्थिति के गुण-दोषों की विवेचना न करें। वस्तु स्थिति क्या है ? वास्तव में इस भवन में दो दल हैं। एक तरफ बहुमत है है और दूसरी तरफ अल्पमत है। बहुमत खतरे में नहीं है, बहुमत हर प्रकार से अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ है। उसका इतना विशाल बहुमत है। उसके अधिकार अगर कोई दूसरा स्पीकर हो ता तो सीमित नहीं करता। लेकिन आज जो वस्तु स्थिति है वह यह है कि अल्पमत की स्वतन्त्रता खतरे में है। हमें क्या आश्वासन है ? हमारे दिल में डर है इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय के सामने नम्रता के साथ रखना चाहता हूं कि हमें क्या विश्वास है कि इस बहुमत के द्वारा जो आप निर्वाचित हुये हैं जिसने हमारे इस अपील को भी ठुकरा दिया और पिछले तीन दिनों तक सतत प्रयत्न करने के बाद भी हम सर्वसम्मति से इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि ऐसे जिम्मेदार पद के लिये एक सुयोग्य व्यक्ति के निर्वाचन में हम सब मिल कर हाथ बटायें और सर्वसम्मति से उसको चुनें।

आप तमाम हाउस का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं जिनके हाथ में हमारे सबके अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उससे हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि बहुमत अपनी विशालता और आशा से बढ़कर विजय के गर्व में हमेशा अल्पमत का दमन करने पर तुला रहे। इसलिये यहां स्पीकर महोदय की जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है। अगर वह अल्पमत का सदस्य होता तो बहुमत के अधिकारों को सीमित न कर पाता और अल्पमत को विश्वास पैदा होता रहता कि हमारे अधिकार कुंठित नहीं होंगे और हमारे अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया जायगा। आपने इसलिये हमें इस शंका को अपने डर को अपने सामने निहायत नम्रता के साथ अर्ज करने का जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मैं आपसे नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस हाउस में वह परम्परा कायम करें, वह प्रणाली प्रतिष्ठित करें, उस परम्परा को चला दें जिससे जनतंत्र खतरे में न पड़े। जिनसे जो विरोधी ताकतें हैं उन पर कभी कुठाराघात न हो, उन ताकतों को दबाने का मौका न हो और उन ताकतों की बातें अनसुनी न कर दी जायं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस मर्यादा को सुरक्षित न किया तो जो आगे आने वाला खतरा है और चूंकि यह पहला मौका है इसलिये मैं उस खतरे से हाउस को आगाह करना चाहता हूं। वह खतरा ऐसा होगा कि पता नहीं धरती कहां से कहां खिसक कर चली जायगी और वह ताकत पैदा होगी जो हमारी जनतंत्र प्रणाली को गड्ढे में ले जाकर पटक देगी। इसलिये आपकी जिम्मेदारी है कि जनतंत्र प्रणाली खतरे में न पड़े और शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हो।

स्पीकर महोदय, हमें इस बात का हर्ष है कि आपका और मेरा परिचय आज केवल विरोधी दल के नेता की हैसियत से नहीं है और न स्पीकर की हैसियत से ही है। हमारा आपका परिचय बाहर बहुत वर्षों से रहा है। इससे पहले जो सरकार थी उसके आप एक मंत्री पद पर सुशोभित थे और उस समय भी समय समय पर हमें ऐसे अवसर मिला करते थे और हम आपसे नम्र निवेदन करते रहते थे। जहां भी जनतंत्र खतरे में होता था हमारा आपका मतभेद होता था। आप संकेत भी करते थे, मिसाल भी देते थे, मगर हम निहायत अदब से आपकी सेवा में निवेदन करते थे। मैं चाहता हूं कि वह अवसर अब भी आप बराबर देते रहेंगे और विरोधी दल को हमेशा अपनी रक्षा के लिये तथा उसको इस हाउस में ठीक ढंग से कार्य करने के लिये आप मौका देंगे और अपनी उदारता का परिचय देते रहेंगे।

एक बात मैं आपसे और निवेदन करूंगा। वह यह है कि अध्यक्ष का चुनाव जब हमारे सामने एजंडे में आया तो उस अध्यक्ष के चुनाव पर हमने कई तरीके से ध्यान दिया, व्यक्ति

[श्री राजनारायण]

विशेष को लेकर ध्यान दिया, परिस्थितियों को सामने रख कर ध्यान दिया और हमें इस बात की खुशी हुई कि जिस बहुमत दल के द्वारा आप चुने गये उसमें आपसे बढ़िया सदस्य मैं किसी को नहीं पाता था, इसलिये आपका स्पीकार पद पर आना हमारे लिये हर्ष का विषय है।

श्री ज्वाला प्रसाद——मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूं जिसने हम लोगों को ऐसा अवसर दिया कि हमारे बीच में, इस सदन में, अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिये एक बहुत ही सुशील और बहुत ही सदाचारी व्यक्ति लाया गया। मैं इस सिलसिले में प्रान्त के मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से ऐसे व्यक्ति को चुना। मैं आपके सामने संयुक्त दल की तरफ से खड़ा हुआ हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का सब से बड़ा नियम यह है कि अगर जनता के उपकार के लिये हमारी गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो हम किसी तरह से उसमें बाधा न डालेंगे, बल्कि उसका साथ देंगे और अगर जनता का कोई उपकार का काम नहीं हुआ, केवल अपने स्वार्थ का काम हुआ, तो मैं आपको बतलाये देता हूं कि हमारी शक्ति कितनी ही कम क्यों न हो, परन्तु हम उसका विरोध बहुत जोरों से करेंगे। आपके अध्यक्ष चुने जाने पर हमको बहुत हर्ष है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि निष्पक्षता से हमारे इस सदन के अध्यक्ष का कार्य अच्छी तरह से भली प्रकार से निर्वाह कर सकते हैं। हम लोगों का यह कर्तव्य है कि जहां तक हो सके एक दूसरे को ठीक तरह से देखें। हमारे यहां गीता में कृष्ण भगवान् ने यह उपदेश दिया है——

"ईश्वरः सर्वभूतानां, हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि, यन्त्रारूढेन मायया॥"

ईश्वर हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है और उसको वह उसके कर्मों के अनुसार, माया से भरमाता रहता है। अब हमको यह देखना है कि हम किस तरीके से काम करें। बहुत से लोग यहां पर कहते हैं कि आपकी शक्ति ही क्या है? आप कौन हैं? तो यह सब मैं सुनता हूं। मगर मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं किसी शायर ने कहा है——"बेकार मबाश कुछ किया कर, गर कर न सके तो कुछ कहा कर।" तो करने का अवसर तो हमको नहीं मिलेगा। हमारे दल के लिये करने का अवसर नामुमकिन सा है, मगर कहने का अवसर आपके अध्यक्ष पद पर होने पर हमको पूर्ण आशा है अवश्य मिलेगा और आप हमको किसी अच्छी बात के कहने में न रोकेंगे। हम लोगों ने आपके चुनाव में वोट नहीं दिया। केवल इस कारण कि आप एक पार्टी की तरफ से प्रपोज (प्रस्तावित) किये गये थे और अब इस पद ग्रहण के बाद हमें आशा है कि आप निष्पक्ष होकर बिला किसी पार्टी के आदमी होते हुये एक स्वतंत्र आदमी की तरह कार्य करेंगे और इस प्रदेश की रक्षा के लिये आप सब से बड़े पद पर इस भवन में नियुक्त किये गये हैं, उसको कायम रखने की हर बात में आप हमको आज्ञा देंगे और जो कुछ यहां का कार्यक्रम है उसका भली-भांति पालन करायेंगे। धन्यवाद।

श्री रणंजय सिंह——श्रीमान् जी, आपके पद ग्रहण करने पर हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि आपका, श्रीमान् जी का निष्पक्ष रूप से, सर्वसम्मति से, चुनाव निर्विरोध रूप से आवश्यक प्रतीत हो रहा था, परन्तु मुझे दुःख है इस बात का कि किसी न किसी कारण से विरोध हुआ। मैं तो यह समझता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो, अपने-अपने दल का विचार सब ने प्रकट किया, फिर भी आपके चुने जाने पर मुझे हर्ष है और यहां स्वतंत्र सदस्य के रूप में श्रीमान् जी को हृदय से बधाई देता हूं। समाजवादी दल की ओर से विरोध उचित नहीं जान पड़ा तथा संयुक्त दल का तटस्थ रहना और भी आश्चर्यजनक है। आज से नहीं, बल्कि बहुत दिनों से मैं समझता था, जब माननीय श्री टंडन जी महोदय यहां से पृथक हुये थे स्वयंमेव

त्यागपत्र देकर तब से ही आशा हो रही थी कि श्रीमान् जी इस पद को सुशोभित करेंगे। बड़े हर्ष की बात है। श्रीमान्, प्रान्त ही नहीं देश प्रसन्न होगा कि श्रीमान् सरीखे एक योग्य प्रमुख सज्जन इस पद पर सुशोभित हुए हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था मैं भी समझता हूं कि श्रीमान् को बधाई दी जाय या इस भवन को बधाई दी जाय। अतः मैं भी अपनी ओर से हर्ष प्रकट करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैं समझता हूं कि समय कम है, बहुत से सज्जन भाषण देने के लिये उत्सुक होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि श्रीमान् जी ने मुझे अवसर दिया और अन्त में मैं पुनः हृदय से श्रीमान् जी को बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष——श्रीमान् मुख्य मंत्री जी, मंत्रीगण और उपस्थित माननीय सदस्यगण! मैं हृदय से आप सब को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपना स्नेह और अपना विश्वास देकर अनुगृहीत किया है। इतना बड़ा बोझ इस वक्त अपने कंधों पर मैं पाता हूं उस प्रेम का और उस विश्वास का जो मेरे प्रति प्रकट किया गया है। इससे मेरी बुद्धि बहुत कुंठित सी हो गई है और मैं स्पष्ट ही कह दूं कि मैं कुछ भयभीत भी हूं। लेकिन कई प्रसंग जीवन में आ चुके हैं और उस परमात्मा में मेरा दृढ़ विश्वास है उसी के आधार पर तथा आप सबके विश्वास का भरोसा करके, आपके सहयोग का भरोसा करके, मैंने यह पद स्वीकार करने का निश्चय किया है। मैं पहिली ही मर्तबा एक दूसरी जगह से, जहां पर मुझे दूसरी ही किस्म का काम करना पड़ता था, आपकी इच्छा से यहां बैठा दिया गया हूं। इसलिये मैं सदन के सदस्यों से प्राथमिक अवस्था के लिये प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे उदारतापूर्ण अपना सहयोग प्रदान करेंगे और जो भी त्रुटि होगी उसे क्षमा करेंगे। साथ ही साथ मेरे बारे में जो प्रशंसा की गई है, जो भी अपेक्षा यह भवन मुझसे करता है उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस वक्त अपने आपको कमजोर पाता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि आपके सहारे से और परमात्मा की इच्छा से शायद वह दिन आ सके जब कि मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरी करने में समर्थ हो सकूं।

जहां तक इस भवन के अधिकारों का संबंध है, भवन के अधिकारों का ही नहीं अल्पमत के समुदाय के अधिकारों का अथवा और किसी व्यक्ति, जो यहां का सदस्य है और किसी समुदाय में नहीं है, के अधिकारों का संबंध है मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं और मैं यह वायदा करता हूं कि उनकी मान-मर्यादा तथा अधिकारों को कायम रखा जायगा। अल्पमत के एक समुदाय के नाते इस चुनाव के बारे में जिक्र करते हुए यह बात कही गई कि उनको खतरा मालूम होता है। मैं उनका ध्यान एक बात की ओर अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कभी इस भवन में कोई प्रस्ताव आयेगा तो उसका निर्णय भवन के बहुमत से होगा। उसमें अल्पमत को यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने अल्पमत के विचारों को बहुमत पर थोप दे। यही जनतंत्र की प्रणाली है। अतः जो भी कार्यवाही इस सदन में होगी उसमें बहुमत का मत स्थापित होगा। अल्पमत को खतरा इस बात का नहीं है कि अन्ततोगत्वा बहुमत को अपने विचारों का न कर सके, लेकिन उसको खतरा इस बात का है कि उसको जो विचार विनिमय करने का अधिकार इस भवन में है उसमें कहीं कमी न हो जाय। इस सम्बन्ध में उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। इसमें उसको इस बात का खतरा है कि बहुमत से विचार-विनिमय करने में उसकी स्वतंत्रता का कहीं अपहरण न हो या उसके सुझाव, चाहे जितने वे भले ही क्यों न हों, सदैव तिरस्कृत दृष्टि से देखे न जावें या उन पर काफी विचार न हो। ऐसी अवस्था में समझता हूं कि अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अल्पसंख्यक सदस्यों को मौका देकर अपने विचारों को प्रकट करने का काफी समय दे। यह तो स्पष्ट है कि अल्पमत नहीं चल सकता। यह तो खतरा सदैव ही रहेगा जब तक कि वह अल्पमत में है। अल्पमत का भी कर्तव्य यह है कि अपनी भाषा द्वारा और अपने तर्क शुद्ध विचारों द्वारा बहुमत के हृदयों को परिवर्तन करके स्वयं बहुमत में अपने को परिणत करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि अल्पमत केवल अल्पमत हमेशा रहना चाहता है तब इस तरह की चीज

[माननीय अध्यक्ष]

पैदा हो सकती है कि वह यह कहे कि हमारे लिये कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिये, लेकिन जब अल्पमत इस बात का दावा करता है कि किसी भी समय बहुमत में परिणत हो सकता है तो अपनी विचारधाराओं पर ही उसे निर्भर रहना पड़ेगा और अपने तर्क शुद्ध विचारों के ऊपर ही उसे हमेशा भरोसा रखना पड़ेगा। अध्यक्ष उसको विशेष मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसमें पक्षपात होने की सम्भावना है।

मैं दो एक बातें और कह देना चाहता हूं क्योंकि इस भवन की यह प्रथा रही है कि यहां के अध्यक्ष कभी राजनीति में भाग लेते रहे और कभी नहीं लेते रहे। तो इस सदन के सदस्य यह जानना चाहेंगे कि मेरा रवैया क्या होगा। मैं स्पष्टतः यह कह देना चाहता हूं कि मेरी हैसियत मेरा व्यक्तित्व इतना ऊंचा नहीं है जितना कि पूज्य टंडन जी का था जो इस भवन के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने यह निश्चय किया था कि वे राजनीति में उसी प्रकार से भाग लेंगे जैसे पहले लेते रहे हैं और उसके साथ साथ यहां अध्यक्ष पद पर रह कर यहां जो भी निर्णय देंगे वह निष्पक्ष होकर देंगे। मैं समझता हूं कि मेरे लिये वह रास्ता उचित नहीं होगा क्योंकि मुझे अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं है और इस भवन में इस समय कम से कम मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं। इसलिये मुझे अपने लिये कोई दूसरा रास्ता मध्यम रास्ता स्वीकार करना पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता जो मेरे पूर्व नफीसुल हसन साहब ने स्वीकार किया उसको भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने राजनीति से बिल्कुल अलग रहना पसन्द किया था। मुझे कोई बीच का रास्ता अपने लिये निश्चित करना है और वह रास्ता यह है कि जिस समय कोई विवादात्मक राजनीतिक संघर्ष की बातें होंगी उन बातों में भाग न लेने का मेरा निश्चय है। मेरा निश्चय है कि मैं उनसे अलग रहूंगा। इसी तरह से जिस कांग्रेस पार्टी का सदस्य मैं ३२ साल से रहा हूं और जिसकी सेवा में रह कर मैंने इस देश के लिये जीवन भर काम किया है उससे अलग तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके पदाधिकारियों में कोई स्थान अपने लिये नहीं रखूंगा। समय समय पर राजनीति के ऊपर जो कि विवादात्मक न हो, जिससे राजनीतिक संघर्ष न हो, ऐसे प्रश्नों पर विचार-विनिमय अवश्य करूंगा और विशेष कर मेरी इच्छा है कि मैं सामाजिक कार्यों में भाग ले सकूं। हमारे सब कार्य अब केवल राजनीतिक नहीं होंगे। अब तो हमारा देश राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है जिससे देश विशेष सामाजिक तरक्की करे और आर्थिक उन्नति की तरफ हम सबों का ध्यान लगा हुआ है। राष्ट्र-निर्माण के कार्य में, ऐसे रचनात्मक-कार्यों के करने में सब राजनीतिक दलों को मदद देनी चाहिये। जहां तक हमारी कांग्रेस पार्टी का रचनात्मक कार्यक्रम होगा जो समाजोत्थान का काम होगा उसमें सहयोग देने का मेरा विचार है। साथ साथ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कार्य किसी भी राजनीतिक दल का हो, कांग्रेस के बाहर का भी हो, तो भी उसके साथ सम्पर्क रखना मैं पसन्द करूंगा, क्योंकि उनकी विचार धाराओं का मुझे जब तक पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई सन्तोषप्रद तरीक़ा इस भवन में माननीय सदस्यों के विचारों को स्पष्टतः जानने का मेरे पास नहीं हो सकता। यह भी जनतन्त्र को कायम रखने के लिये और निष्पक्ष रहने के लिये उनसे सम्पर्क रखने का आवश्यक रास्ता है जिसे ढूंढ़ निकालने का मुझे प्रयत्न करना होगा।

जहां तक कि जनतन्त्र की बातें कही गयी हैं मैं अपने विचार इस भवन के सामने थोड़े शब्दों में रख देना चाहता हूं। बहुत दफा यह कहा गया है कि बहुमत के अधिक प्रबल होने के कारण अल्पमत को खतरा हो जायगा और इस तरह से जनतन्त्र नहीं चल सकता है। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। यह एक खतरा अवश्य है परन्तु एक और खतरे को भी अल्पमत अपने सामने रखे। आजकल के संकट के समय में दो विचार-धाराओं, दो प्रणालियों में संघर्ष संसार में चला हुआ है। एक तो प्रजातन्त्र की जिसको हमने अपनाया हुआ है, और दूसरी तानाशाही प्रणाली है। यह कहा जा सकता है कि तानाशाही

का भी संसार में कहीं कहीं बोलबाला है और इन दोनों प्रणालियों का संघर्ष है। लोग समझते और कहते हैं कि प्रजातन्त्र के द्वारा जो संस्थायें बनती हैं वे बहुत देर में काम करती हैं। जहां देखिये वहां वादविवाद और वितण्डा इसमें दीखता है और इसके कारण कार्य नहीं हो सकता, जनता कार्य चाहती है, जनता विकास चाहती है और फल चाहती है और हम बातें करते हैं। अधिक से अधिक बातें हम किया करते हैं। यह दूसरा खतरा है। जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा यह हमारा सबसे बड़ा प्रान्त है और इसमें पहले अगर २५० मेम्बर थे तो अब ४३० हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम लोग वाद विवाद करने में अधिक समय अपना खर्च करते हैं तो जनता का विश्वास प्रजातन्त्र के तरीक़ों पर नहीं रहेगा। यह मुझे दूसरा खतरा दिखाई देता है क्योंकि जनता आपसे चाहती है कार्य और रचनात्मक-कार्य जिसके लिये हमारे देश में लोगों ने योजनायें बनाई हैं। पंचवर्षीय योजना हमारे देश में बनी है। उससे कोई सहमत हो या न हो उसमें सुधार किये जा सकते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि ऐसी योजनाओं को सफल बनाने के लिये जिस कानून की आवश्यकता हो उसे हम थोड़े से थोड़े समय में पारित करने का प्रयत्न करें। तभी हमारी योजनायें शीघ्र सफल हो सकती हैं। लेकिन अगर हमारी नीति अड़ंगा लगाने की रही या वाद-विवाद बढ़ाने की रही तो मैं यह खतरा देखता हूं कि न तो लोग विरोधी दल को ही सोचेंगे और न गवर्नमेंट के दल को लोग बाहर से क्रान्ति खड़ी कर सकते हैं और वह कह सकते हैं कि जनतन्त्र में हमें विश्वास नहीं है, जो तानाशाही का तरीक़ा अन्य कुछ देशों में प्रचलित है वही सही है, क्योंकि प्रजातन्त्र प्रणाली में लोग हमारी तरफ से चुन कर जाते हैं और वहां केवल बातें करते हैं। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र समय को बचा कर हमारे भाषण हों जिसमें कम से कम समय भवन का लगे।

मै यह भी चाहता हूं कि हमारे यहां की, लखनऊ की, तहज़ीब मशहूर है, उसे हम कायम रखें। यहां पार्लियामेंटरी एक्सप्रेशन्स की भी चर्चा होती है। कभी कभी लोग कटु से कटु शब्दों का भवन में उच्चारण कर देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि दूसरी तरफ से वह क्रोध का रूप धारण कर लेता है। क्रोध के वश में होने पर भवन में वह वातावरण नहीं रहता जो कि वादविवाद करके सत्य के शोधन के लिये आवश्यक है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां की संस्कृति के आधार पर ही हमारे भाषण होने चाहियें। मधुर वाणी से जो कुछ कहा जायगा विरोधी दल अपील करेगा या सरकार के लिये अपील की जायगी उसका असर बहुत फलदायी होगा और जो सुधार आप करना चाहेंगे वे आसानी के साथ हो जावेंगे। विरोधी दल को जो दूसरे के दिल में जगह करने की आवश्यकता है और बहुमत में से लोगों को अपने तरफ खींचने की आवश्यकता है इसलिये मैं उनसे खास तौर से कहता हूं और प्रार्थना करता हूं। मैं बहुमत से भी प्रार्थना करूंगा कि आप तो बहुमत में हैं। जो आप विचार रखेंगे वह पारित हो ही जायगा, तो फिर भाषण मधुर क्यों न हों जिसके द्वारा आप विरोधी-दल को भी अपनी तरफ खींच सकें। यह सिद्धान्त लेकर मैं इस भवन का कार्य संचालन करने का प्रयत्न करूंगा और मैं आशा करता हूं कि इस सिद्धान्त को यह भवन स्वीकार करेगा।

मैं फिर से इस भवन के सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबका स्वागत भी करता हूं। अब से पहले जिस तरह के सदस्य थे आप अब उस तरह के सदस्य नहीं हैं। आप तो ऐडल्ट फेन्चाइज़ (वयस्क मताधिकार) पर यहां आये हैं। इसका मतलब यह है कि आप सच्चे मायने में जनता के प्रतीक हैं। जो जनता जनार्दन बाहर है उसकी प्रतिष्ठा को आप कायम करने वाले हैं। जनता के हम सच्चे प्रतिनिधि हैं, ऐसे हैं जैसे कि पहले हम कभी नहीं थे, इसलिये इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं कि जब आपने मुझ जैसे कमज़ोर, साधारण सदस्य को इस स्थान पर बैठाया है तो सदन की प्रतिष्ठा को कायम करने में जो भी मैं प्रयत्न करूं उसके लिये आप मुझे पूरा सहयोग देंगे। आप तो जनता जनार्दन के प्रतीक हैं और उसके अन्दर बड़ी शक्ति है--

"मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्।"

[माननीय अध्यक्ष]

मुझे आप अच्छा योग्य बना सकते हैं। जिसके अन्दर बोलने की शक्ति न हो उसको मधुर भाषण करने की शक्ति आप प्रदान कर सकते हैं और जो लंगड़ा हो उसको पर्वत पार करने की शक्ति भी आपसे ही प्राप्त हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि इस भवन में जितने भी कार्य आयेंगे उनकी सब कठिनाइयों को पार करने की शक्ति आप मुझे प्रदान करेंगे और साथ ही यह भी आशा करता हूं कि आप अपने सहयोग के द्वारा और अपने अच्छे भाषणों को द्वारा इस भवन का कार्य सुचारुरूप से संचालन करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं सबसे अधिक महत्व इस बात पर देना चाहता हूं कि इस भवन के द्वारा अधिक से अधिक कार्य सम्पन्न हों तभी हम जनता की इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--राजनारायण जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने निहालुद्दीन जी को खेर साहब के विरोध में खड़ा किया था। मुझे इसकी क़तई शिकायत नहीं है। उनका अधिकार था और उन्होंने ऐसा करना उचित समझा और हममें से किसी को भी इसके सम्बन्ध में किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं थी और न अब है। जो जिसका अधिकार है उसके अनुसार उसको कार्य करने का पूरा स्वत्व है। उस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि इस बात की सारी जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी मेरी हो या उनकी हो मगर यह काम तो हुआ ही। जो उनको अधिकार था उसके लिये उन्होंने कृपा की। १७ तारीख को वह मुझ से मिले और उनके साथ राजाराम जी भी थे। मैंने उनसे साफ कह दिया कि हमारा विचार खेर साहब को अध्यक्ष पद के लिये खड़ा करने का है और किसी दूसरे को उपाध्यक्ष पद के लिये। बातचीत के सिलसिले में मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई इनसे बेहतर आदमी हो तो उसको बतलाया जावे। उन्होंने कहा अभी तो इसके लिये सोचा नहीं है जब सोचेंगे तब बतलायेंगे। उनसे मैंने कहा कि यह चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है आपने अभी तक नहीं सोचा। इसके माने यह साफ हुये कि उनकी सम्मत्ति में भी इनसे अच्छा दूसरा नहीं था। इस तरीक़े पर उनसे मेरी बात हुई और आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मेरी यह सम्मति है कि खेर साहब से अच्छा आदमी दूसरा नहीं। इसमें कोई लेनदेन की बात नहीं है। एक का डिप्टी स्पीकर हो तो विरोध न किया जाय और अगर डिप्टी स्पीकर न हो तो उसका विरोध किया जाय। इसके लिये फिर ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो सारे विरोधी-दल की हो और सारे विरोधी दल का एक नेता हो। समाजवादी दल की एक बात मानी जाय तो फिर दूसरे दल की आज्ञा की अवहेलना कैसे की जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि खेर साहब के बारे में जो मेरा मत है वही मत वस्तुतः सर्वसम्मति से भवन के सभी सदस्यों का है और मुझे इस बात की खुशी है। मैं राजनारायण जी ने जो कुछ कहा उसके लिये उनको विश्वास दिलाता हूं कि श्री निहालुद्दीन को खड़ा करने में उन्होंने किसी नियम के विरुद्ध कुछ नहीं किया है और यह उन्होंने अपने स्वत्व के अनुसार कार्य किया है और जो कुछ किया उसको करने का उन्हें हर तरह से स्वतन्त्रता से और स्वच्छन्दता से अधिकार था और उसी को उन्होंने निभाया।

श्री राजनारायण--श्रीमान् जी....

माननीय अध्यक्ष--अब बोलने का समय तो समाप्त हो चुका है, आप कोई परसनल एक्सप्लेनेशन (निजी स्पष्टीकरण) देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे सम्बन्ध में और मेरे अधिकारों के सम्बन्ध में जो बातें कहीं मैं उनसे अवगत हूं और अवगत था। यह सही है कि विरोधी दल को यह अधिकार था और हमने उसका पालन किया और बहुमत को क्या अधिकार था.....

माननीय अध्यक्ष—आपने परसनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये कहा था लेकिन आपने तो वादविवाद करना शुरू कर दिया और मैं समझता हूं कि मुझे आपको इसका मौका नहीं देना चाहिये।

श्री राजनारायण—मैं परसनल एक्सप्लेनेशन ही देना चाहता हूं। इसलिये मैं यह जानता हूं कि इस सदन की मर्यादा का संरक्षण रखने के लिये अल्पमत को क्या अधिकार है और बहुमत के क्या अधिकार हैं और इसीलिये हमने इस बात का प्रयत्न किया कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद का चुनाव हो। यह बात जो सदन के सम्मुख कही गई कि राजनारायण जी ने जिस पक्ष का मत हमारे सामने रखा उसी तरह के दूसरे पक्षों के अल्पमत के लोग हैं और शायद दूसरे सदस्यों की ओर से...

माननीय अध्यक्ष—मैं फिर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अब भी जो बातें माननीय मुख्य मंत्री ने कही थीं उनकी बातों का आप अपने भाषण द्वारा जवाब देना चाहते हैं और इसके लिये मैं आपको अब समय नहीं दे सकता। यदि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो गलत हो और उस पर आप परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हों तो मैं समय दे सकता हूं और आप ऐसी कोई चीज नहीं कह रहे हैं। इसलिये मैं आपको अब वादविवाद के लिये समय नहीं दे सकता।

कल ११ बजे यहां पर इस सदन के और विधान परिषद् के सदस्य इकट्ठे होंगे और महामान्य राज्यपाल का यहां पर भाषण होगा। उसके बाद १२ बजे फिर यह सदन मीट करेगा।

(इसके पश्चात् सदन १ बजकर ४० मिनट पर महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के हेतु, अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२० मई, १९५२ ई०।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६ एल० ए०—१९५२—८५०

उत्तर प्रदेश विधानसभा